भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1051
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

शेयर/प्रतिभूति प्रमाणपत्र का दावा करने वाले आवेदक की प्रामाणिकता

1051. श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री अनुराग शर्माः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 5 लाख रुपये तक के मूल्य के शेयर प्रमाणपत्रों के लिए एफआईआर की शर्त हटा दी गई है;
(ख) यदि हां, तो उक्त दावों को प्रमाणित करने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं;
(ग) कंपनियों द्वारा किसी विलंब या अतिरिक्त शर्तें लगाए बगैर कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्रों को मान्यता देने और उन्हें स्वीकार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) सुरक्षा जमा/प्रतिभूति आवश्यकता संबंधी शर्त को हटाने के बाद वास्तविक प्रतिभूति प्रमाणपत्रों की द्वितीय प्रति के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): जी, हां। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) कंपनियों द्वारा फाइल की गई ई-सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ऐसे दावों पर कार्रवाई करता है।

(ग): विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित की अनुसूची II के तहत कंपनियों के लिए बिना किसी विलम्ब या अतिरिक्त शर्तें लगाए कानूनी वारिस प्रमाणपत्रों को मान्यता देने और उन्हें स्वीकार करने के लिए दस्तावेजों का एक यूनिफार्म सेट अनिवार्य किया गया है।

(घ): आईईपीएफए कंपनियों द्वारा फाइल की गई ई-सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर दावों पर कार्रवाई करता है। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार, कंपनियां सभी परिस्थितियों में दावेदार की वास्तविकता और पात्रता को सत्यापित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

*****